भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2112
05.08.2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय तटीय योजना

2112. श्री बस्तीपति नागराजूः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय तटीय योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान बाह्य सहायता प्राप्त घटक और गैर-बाह्य सहायता प्राप्त घटक के अधीन आंध्र प्रदेश के लिए कितनी निधियों प्रदान की गई;
(ख) उक्त राज्य में उक्त अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं की प्रगति और प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या आंध्र प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत कोई नई परियोजना कार्यान्वित की जाएगी; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय तटीय मिशन स्कीम (एनसीएम) का कार्यान्वयन किया गया है जिसके निम्नलिखित घटक हैं:

i. मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण संबंधी प्रबंधन कार्य योजना
ii. समुद्री और तटीय पारि-तंत्र में अनुसंधान एवं विकास
iii. समुद्र तट पर्यावरण एवं सौंदर्य प्रबंधन सेवा के अंतर्गत समुद्र तटों का सतत विकास
iv. समुद्र तट स्वच्छता अभियान सहित समुद्री और तटीय पारि-तंत्र के संरक्षण के संबंध में तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षमता विकास/जन संपर्क कार्यक्रम

तटीय राज्यों की राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासन, एनसीएम को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां हैं। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन मंत्रालय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के आधार पर जारी किया जाता है।

आंध्र प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का विकास, प्रदूषण उपशमन, सुरक्षा निगरानी और समुद्रतट की स्वच्छता के लिए ईएपी (बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रम) और गैर-ईएपी घटक के तहत वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कुल 7.94 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना (आईसीजेडएमपी) कार्यान्वित कर रही है, जिससे, अन्य बातों के साथ-साथ, आंध्र प्रदेश की तटरेखा सहित भारत की संपूर्ण तटरेखा के लिए जोखिम रेखा, पारि-संवेदनशील क्षेत्र और तलछट के मानचित्रण में योगदान मिला है।

*****